Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ......उपजिलाधिकारी...... मुकाम ......[illegible]......

......संजना...... बनाम ......गीता देवी......

बाबत मुकदमा ......धारा 212 रा० सं०...... नं. ...... सन ......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
13/5/22	एडवोकेट प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र धारा 212 रा० सं० के तहत पेश किया। एडवोकेट प्रार्थी को एक पक्षीय सुना। पत्रावली में संलग्न समस्त अभिलेख का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया प्रार्थीया के हक में मामला आता है कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम आदेश निर्गत करते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 9/9/22 तक के लिए आदेश पारित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित आराजी ग्राम नडीगाँव तहसील [illegible] के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें। इस बाबत कोई आपत्ती हो तो नियत तारीख पेशी को न्यायालय द्वारा उपस्थित हों। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब कर प्रकरण दिनांक 9/9/22 को पेश हो।	
9/9/22	प्रकरण पेश हुआ। [illegible] प्रार्थी उपस्थित। [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। [illegible] दि. 20/10/22 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज
13/10/16	मौलिक अधिकारी [illegible] नकल [illegible] नकली पुनामुतर दिनांक [illegible] 13/10/16 [illegible] [illegible]
13/11/26	प्रकरण आज पेश हुआ। प्रकरण में अपराधी के [illegible] अनुसंधान के अवलोकन से न्यायालय द्वारा दिनांक [illegible] आवश्यक [illegible] की अवधि में कोई [illegible] नहीं। अतः प्रकरण इसी स्तर पर अपराधी [illegible] को [illegible] किया जाता है। [illegible] है। [illegible]